

फा.सं.7-8 / उद्योग / योजना / आई.ई / 2002(भाग) / 967

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन

उद्योग निदेशालय

.....

दिनांक 31.7.09

सूचना

सभी संबंधित को सूचित कि या जाता है कि गाराचरमा, डॉलिंगंज व मीठाखाडी औद्योगिक परिसर के अधिभोगी परिसर के नियमों का अतिक्रमण करने ऐसे कार्यकलाप जिससे कि अन्य इकाइयों को असुविधा हो रहे है जिससे कि शांति भंग हो रही है। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ने औद्योगिक परिसर की रख-रखाव के लिए आदेश सं. 45 दिनांक 12.2 2009 के द्वारा एक बिल्डिंग प्लान समिति गठित की गई है जिससे कि औद्योगिक परिसर के भवन एकरूपता बनाए रख सके व भवन योजना का अनुपालन करना होगा जिसे नीचे दर्शाई गई है:

औद्योगिक परिसर के संपूर्ण विकसित क्षेत्र से उत्तरव्यापी उद्यमियों को आबंटित कि या ग या जिससे स्थायी/अस्थायी निर्माण किया गया है। निर्माण किए गए भवन में एक रूपता नहीं है व कुछ इकाई ने सेट बैंक क्षेत्र में भी निर्माण कि है जिससे कि सुरक्षा की दृष्टि से हटा या जाना है। इस कारणवश सड़क व नाले को चौड़ा किया जा सके व अन्य सुविधाओं का विकास किया जा सके।

उद्यमियों / इकाइयों को औद्योगिक भवन योजना दिशा निर्देश की प्रति जारी की जाएगी व जहाँ पर भी इकाइयों द्वारा अधिक क्षेत्र को घेर लिया गया वे जल्द से जल्द खाली कर दें अन्यथा संबंधित नियमों के जहज कार्रवाई की जाएगी।

औद्योगिक परिसर की आबंटन सर्वेक्षण व प्लोटिंग करने के उपरांत की जाएगी।

भविष्य में भवन योजना की रूपांकन विभिन्न आकारों के आधार पर तैयार की जाएगी (100 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 300 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर व 500 वर्ग मीटर) जिससे कि बाहर सके देखनक में एक रूपता लग सके। आवेदक अपने आवश्यकता के अनुसार भीतर बदलाव कर सकते हैं।

किसी भी इकाई को आर.सी.सी स्लैब या स्थायी भवन का निर्माण करने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। भविष्य के सभी निर्माण कार्य एकस्पता से ट्यूबलर ट्रेस कि साथ रूफिंग शीट से तैयार की जाएगी। यदि किसी इकाई ने आर.सी.सी भवन का निर्माण किया गया है तो उन्हें या सूचित करना होगा कि यदि आबंटन रद्द की जाती है। पट्टे की अवधि समाप्त हो जाती है तो उन्हें अपने व्यय से ही भवन को हटाना होगा। इनके लिए के किसी प्रकार की क्षतिपूर्ती का दावा नहीं कर सकते हैं।

परिसर तत्कालीन इकाईयो को सूचित किया जाता है कि वे उन्हें प्रदान की गई सूचना पत्र संख्या 7 -2/आई ई/ (जी)/पी एल/ उद्योग/1999-2000/2011 दिनांक 28/12/2007 व 902 दिनांक 26. 08. 2008 के दिशा निर्देशों का अनुपालन करें।

- 1 कोई भी औद्योगिक इकाई मुख्य सड़क/आंतरिक सड़क के अनिश्चित काल के लिए वाहन खड़ी नहीं करेंगे साथ ही साथ रात के समय मुख्य सड़क/आंतरिक सड़क पर पार्किंग नहीं करेंगे जिससे कि दूसरे इकाईयो को असुविधा हो। ऐसे क्रियाकलाप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

- 2 कोई भी औद्योगिक इकाई अपने सामग्रियों को सड़क के किनारे पर नहीं डाल सकते हैं। वे औद्योगिक परिसर को साफ व स्वच्छ रखें।
- 3 कोई भी इकाई सड़क को उनके कार्यक्षेत्र के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है जैसे कि पेंटिंग, क्लीनिंग, रिपोर्टिंग, वेल्डिंग इत्यादि जिससे कि दूसरे इकाईयों को अवरोध उत्पन्न हो। अध्यक्ष प्राधिकारी से अनुमोदन लिए बगैर।
- 4 भवन में किसी प्रकार की परिवर्तन या बदलाव करने नहीं दिया जाएगा। जो कि अनुमोदित भवन योजना शामिल नहीं था। इसलिए सभी इकाईयों को सूचित किया जाता है कि वे अबाधिकृत निर्माण को अपने व्यय से हटा ले अन्यथा संबंधित नियमों के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी जो उचित होगा।
- 5 कोई भी इकाई के औद्योगिक शेड को आवास के लिए उपयोग करने नहीं दिया जाएगा जबकि औद्योगिक परिसर का विकास औद्योगिक इकाईयों के लिए किया गया है। यदि कोई इकाई पाया जाता है कि वे इसका आवास के उपयोग कर रहा है तो संबंधित नियमों के तहत कार्यवाई की जाएगी।

औद्योगिक परिसर में स्थित सभी इकाईयों को सूचित किया जाता है कि वे आबंटन आदेश पट्टा करार में दर्शाए गए निर्देशों का पालन करें अन्यथा संबंधित नियमों के तहत कार्यवाई की जाएगी।

संयुक्त सचिव व निदेशक (उद्योग)